संशोधित स्मृति पत्र

1.संस्था का नाम — सामूहिक उत्थान सेवा समिति ।

2.संस्था का पता — 153 संजय गाँधी नगर, नौबस्ता, कानपुर नगर–208021

3.संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था का उद्देश्य —

1.इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यक्षेत्र के सभी व्यक्तियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, नैतिक एवं धार्मिक विकास करना होगा ।

2.शैक्षिक विकास हेतु प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक सभी भाषाओं/सभी माध्यमों से विद्यालयों/महाविद्यालयों/विकलांग विद्यालयों/बेरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र/ विद्यालयो/इण्टर कालेज/ महाविद्यालयों/किसान प्रशिक्षण विद्यालय/केन्द्र/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द/अनौपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र/मूक बधिर विद्यालयों/कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र(हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर/श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्र/ टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र/मदरसो आदि की स्थापना संचालन एवं प्रबन्ध नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना ।

3.प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करना तथा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से होने वाली हानियों के रोकथाम हेतु कार्य करना, वृक्षारोपण कराना तथा उसका प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित करना मानव व जीव जन्तुओं पर वायु प्रदूषण से होने वाली हानियो के उपाय के लिए ठोस कदम उठाना इस हेतु विभिन्न विभागों से योजनाओं,कार्यक्रमों को लेना उसका प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना ।

4.निर्बल वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना एवं ज्ञानवर्धन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना एवं संचालन करना ।

5.समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमीनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता,वाद–विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियों प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन व संचालन करना एवं युवा एवं महिला विकास हेतु समूह बनाकर विकास कार्य करना ।

6.महिलाओं/बालिकाओं/बेरोजगार युवतियो को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला,ललित कला,संगीत कला,गायन–वादन,नृत्य,थियेटर,अभिनय,फोटोग्राफी,कियेटिव राइटिंग फैशन शो एवं डान्स कम्प्टीशन फैशन डिजाइनिंग,चिकन जरी,डालमेंकिग,फलावर मेंकिग,फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, पेन्टिंग, स्कीन प्रिन्टिंग,आफसेट प्रिन्टिंग,वाल पेन्टिंग,खादी एवं हस्तशिल्प, चर्म शिल्प,मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं, सिविल डिजाइनिंग के निर्माण एवं स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिलवाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना । पत्र पत्रिकाओ का प्रकाशन व संपादन करना ।

7.केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यकमों को चलाना सर्दी में अलाव जलवाना, भोजन वस्त्र, कम्बल लोई का वितरण करना, गर्मी में पौशाला खुलवाना तथा बालश्रम उन्मूलन को रोकने का प्रयास करना तथा बालशोषण को रोकने हेतु उनके पुर्नवास की व्यवस्था करना ।

08.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय द्वारा संचालित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित करना तथा उनका प्रचार व प्रसार करना तथा भारत के शहरी क्षेत्र के लोगो में पर्यावरण के प्रति लोगो में जागरूकता लाने के उद्देश्य

विनयकुमार सिंह उषा देवी शीला सिंह
सत्य-प्रतिलिपि
प्रदीप निषाद Shivam Dwivedi
सीमा सिंह अनुज दुबे
सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
23/11/11

में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिको के आग्रह पर उपयोगी एवं अनुपयोगी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना एवं प्रेरित करना तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रचार व प्रसार करना ।

09.कार्यक्षेत्र में विकलांग महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु साक्षर बनाना एवं राष्ट्रमिशन के कार्यकमों का संचालन करना एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला कल्याण निगम,महिला आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यकमों का संचालन करना ।

10.वृक्षारोपण करना/करवाना तथा रक्तदान कार्यकमों तथा स्वाथ्स्य परीक्षण कैम्पों धर्मार्थ एवं निःशुल्क चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा गरीब एवं आम जनता के लाभार्थ हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यकमों का संचालन करना ।

11.एड्स, कैन्सर, टी.वी., हेपेटाइटिस–बी,मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना तथा उनका उपचार करना/कराना ।

12.समाज के मानवीय मूल्यों को बनाये रखने के लिए जागरूकता शिविरों, सेमीनार एवं गोष्ठियों का आयोजन करना एवं समाज को कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

13.निर्धन व असहाय व साधनहीन परिवारों की कन्याओं के लिए दहेज विहीन शादी सामोरह का आयोजन करना तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सांसद निधि,विधायक निधि से सहयोग लेना ।

14.समाज के मूक–बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धो तथा निराश्रितों बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अल्पसंख्यको, दलितों, पिछड़ी जातियों, अन्य जातियो एवं शोषित वर्ग के कल्याण कार्य करना ।

15.दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान, दंगा, आगजनी आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना ।

16.राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करना व कराना सांस्कृतिक कार्यकमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवम् महापुरूषों के चरित्र आदि का ज्ञान करना तथा इसके लिए सतत् प्रयत्नशील रहने का प्रयास करना, नुक्कड़ नाटक, गोष्ठियों, संगोष्ठियों का आयोजन कर समाज को जागरूक करना एवम् हेतु कार्य करना तथा मद्यनिषेध सम्बन्धी कार्यकमो का प्रचार प्रसार करना एवं नशामुक्ति केन्द्र का संचालन एवं प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना

17.समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संशाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराई, आक्सकेम इण्डिया केयर,राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग, उ0प्र0 विकलांग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0/केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, राज्य औद्योगिक मिशन महिला एवं बाल विकास कार्यकमों, राष्ट्रीय स्वच्छकार वित्त एवं विकास निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग, उद्यान विभाग,राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,जीव जन्तु संरक्षण बोर्ड/आयोग, मनरेगा, विकलांग कल्याण निदेशालय/बोर्ड/विभाग के कार्यकमो का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।

18.पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यकम, प्रदूषण नियंत्रण, उसर–बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास, वैकल्पिक उर्जा विकास, पशु–पक्षी–जीव–जन्तु संरक्षण, फल प्रसंस्करण, खाध प्रसंस्करण, जलसंचयन, भूमि एवं जल प्रबन्धन,मधुमक्खी पालन, कुकुटपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, पशुपालन, दुग्ध विकास, मानव चिकित्सा, जड़ी–बूटी कार्यकम, बागवानी विकास, नारी सशक्तीकरण, बालिका सशक्तीकरण, जनसंख्या नियंत्रण,

सत्य–प्रतिलिपि

विनय कुमार सिंह आशा देवी Shivam Dwivedi शीला सिंह
प्रदीप निषाद Satyendra Singh Rajkumar Singh
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
मीना सिंह
अतुल दुबे
23/11/13

वेश्यावृत्ति उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यटन शिक्षा/विकास, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विकास, कृषि विविधीकरण, श्रम उन्मूलन हथकरघा उद्योग, हरित क्रान्ति, ह्यूमन राइटस, जल संचयन आदि कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करना व उनका प्रचार प्रसार व संचालन करना.

19.प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रिकल एवम् इलेक्ट्रानिक शिक्षा,कृषि शिक्षा, टाईप-शार्टहैण्ड शिक्षा, शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण द्वारा प्रशिक्षित करना ।

20. जनहितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, मूक-बधिर विद्यालय, विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय, ब्लाइन्ड स्कूल, छात्रावास, व्यायामशाला, गौशाला, विधवा आश्रम, वृद्वाश्रम, शिशु पालन गृह, बालबाड़ी, बाल सुधार गृह, ऑगनवाड़ी महिलाओं एवं पुरूषों के लिएं शार्ट-स्टे होम एवं पशु चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन एवं प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित करना

21.विकलांगों की सहायतार्थ कार्यकम चलाना,विकलांग को समाज में समानजीवन के साधन उपलब्ध कराना उनकी शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास के अवसरों का सृजन करना विकलांगो को कृत्रिम अंगों, अंगों, विकलांग उपकरणों का निःशुल्क वितरण करना विकलांगो को व्यवसायिक एवं रोजगार-परक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बेरोजगारों के सर्वागीण विकास हेतु कार्य करना उनके लिए रोजगार परक शिक्षा प्रदान करते हुए रोजगार प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं से शासन-प्रशासन को अवगत् कराना एवं निराकरण हेतु प्रयासरत् रहना ।

22.जड़ी बुटियों एवं प्राकृतिक वन-औषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा जड़ी-बूटियों की खेती करने हेतु कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना ।

23.पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा व क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओ एवं भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार प्रसार करना ।

24.नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषतया मलिन व श्रमिक बस्तियों की स्वच्छता, पर्यावरण, सामुदायिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनकी मॉग के अनुसार शौचालय, जल आपूर्ति, प्रकाश, सड़क, जल-निकासी, पोष्टिक आहार, शिक्षा आदि नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करना । ग्रामीण क्षेत्रो का विकास करना एवं रोजगार का सृजन करना तथा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमो का संचालन एवं प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना एवं जल प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यक्रमो का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।

25.शोध छात्रों के सहयोग हेतु शोध संस्थानों तथा लेबोरेट्रीज की स्थापना करना एवं संचालन करना कला के विकास हेतु लोक कलाओं, ललित कला के प्रचार-प्रसार एवं नाटकों के मंचन आदि के सम्बन्ध में कार्यक्रम तथा लेखकों, साहित्यकार, बुद्वजीवियों, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद परिवार जन, धार्मिक व्यक्तियो एवं उत्त्कृष्ठ खिलाड़ियो को सम्मानित करना व तैयार करना व अन्य सहायता करना तथा समाज में मेधावियों की मेधा को सम्मान देते हुए उन्हें सम्मानित करना तथा किसी विशेष कार्य से समाज में अपनी अलग पहचान बनाने वाले विशिष्टि व्यक्तियों को सम्मानित करना तथा साहित्य, शिक्षा एवं तकनीकी की क्षेत्र में विजय रत्न नामक विशेष पुरस्कार प्रदान करना ।

26.ग्रामीण स्वच्छता, शुद्व पेयजल जल व भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।

27.ग्रामीण किसानो, महिलाओं बेरोजगारों के सामाजिक विकास के लिए आर्थिक, प्रोन्नति कार्यक्रम संचालित करना तथा कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज सिचाई के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषको को दिलाना जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सकें ।

सत्य-प्रतिलिपि

विनय कुमार सिंह सुधा देवी Shivam Dwivedi श्री लाल सिंह
प्रदीप निषाद मीना सिंह अनुप दुबे Satyendra Singh Raghuvanshi

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
23/11/13

5.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम/पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है —

क0सं0 नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.बीना सिंह	ए0के0 सिंह	ग्रा.गंगौली,पो.जाफरगंज कटरा जिला फतेहपुर।	संरक्षक	स.सेवा
2.उषा देवी	मुद्रिका नाथ	289 बाबा नगर, नौबस्ता, कानपुर	संरक्षक	स.सेवा
3.विजय कुमार सिंह	यज्ञ कुमार सिंह	153, संजय गाँधी नगर,नौबस्ता कानपुर ।	अध्यक्ष	स.सेवा
4.शिव प्रताप कुशवाहा	महेन्द्र नाथ कुशवाहा	1372/ए, हनुमन्त बिहार,नौबस्ता	उपाध्यक्ष	स.सेवा
5.सत्येन्द्र सिंह	मुद्रिका नाथ	289 बाबा नगर, नौबस्ता, कानपुर	महामंत्री	स.सेवा
6.प्रदीप निषाद	हरिशचन्द्र निषाद	133/1, जूही गौशाला,हमीरपुर रोड, कानपुर ।	मंत्री	स.सेवा
7.शिवम् द्विवेदी	महेश कुमार द्विवेदी	ग्रा.मडेपुर,पो. उमरी,ब्लाक भीतरगाँव, कानपुर नगर ।	संगठनमंत्री	"
8.शीला सिंह	यज्ञ कुमार सिंह	153 संजय गाँधी नगर,कानपुर	कोषध्यक्ष	स.सेवा
9.रामेन्द्र सिंह	विजय पाल सिंह	ग्रा.बादलपुर,पो. असवार तारापुर जिला फतेहपुर ।	प्रचारमंत्री	स.सेवा
10.अनुज दुबे	तीर्थराज दुबे	133/63 एम ब्लाक, नयापुरवा, कानपुर ।	सदस्य	शिक्षक
11.राज कुमार चौरसिया	श्री राम प्रसाद चौरसिया	4—पी ब्लाक, कुंज बिहार—I, यशोदा नगर, कानपुर ।	सदस्य	प्रा.नौकरी

6.हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के आधार पर संस्था को सोसा0 रजि0 अधिनियम की संख्या 21 सन् 1860 के तहत पंजीकृत कराना चाहते है —

दिनांक-

हस्ताक्षर-

विजय कुमार सिंह बीना सिंह शीला सिंह

प्रदीप निषाद ऊषा देवी Satyendra Singh

Shivam Dwivedi Rajchaurasiya अनुज दुबे

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल, कानपुर

23/11/13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AB 941076

यह अनरस स्टाम्प पेपर सामाजिक उत्थान सेवा समिति

जिला कानपुर फाइल सं० R 43071

स्मृति पत्र

... उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्यमेव जयते

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

... फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

... मण्डल, कानपुर

23/11/13

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नामः सामूहिक उत्थान सेवा समिति
2. संस्था का पताः 153, संजय गाँधी नगर, नौबस्ता, कानपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की नियमावलीः

अ) आजीवन सदस्यः

संस्था को 5001/– रूपये नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

ब) सामान्य सदस्यः

संस्था को प्रति वर्ष अप्रैल माह में 24/– रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. **सदस्यत की समाप्तिः** मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, कोढ़ी होने पर, किसी न्यायलय द्वारा दण्डित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार सदस्यता शुल्क न अदा करने पर, लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थिति रहने पर, त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर, अविस्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

6. **संस्था के अंगः** संस्था के दो अंग होंगें।
   अ) साधारण सभा।
   ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

7. अ. गठनः

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें:

साधारण सभा की बैठकें वर्ष में दो व विशेष बैठकों को आवश्यक्तानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

स. सूचना अवधिः

साधारण सभा की सामान्य बैठकों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को तीन दिन पूर्व की सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

द. गणपूर्तिः

साधारण सभा की सभी बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों को दो घण्टे के बाद पुनः आहुत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्व ही रहेंगे।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथिः

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जायेगा जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति द्वारा तय कर ली जायेगी।

Rajhauras... सत्य–प्रतिलिपि

Shivam Dwivedi

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

7. साधारण सभा के कर्तव्यः

1. तीन वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय व्यय/बजट को पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में संशोधन, कार्यवाही 3/5 के बहुमत से करना।

8. प्रबन्धकारिणी समितिः

अ. गठनः

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी वर्ग के सदस्य मिलकर साधारण सभा के अधिवेशन में चुनाव द्वारा बहुमत से करेंगें। दो संरक्षक एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, एक मंत्री, एक संगठन मंत्री, एक प्रचार मंत्री तथा दो सदस्य इस प्रकार संरक्षक सहित 11 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।

ब. बैठकें:

प्रबन्धकारिणी समिति की समान्य बैठकें वर्ष में तीन व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाय जा सकता है।

स. सूचना अवधिः

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घण्टे पूर्व की सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

द. गणपूर्तिः

प्रबन्धकारिणी समिति की सभी बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु स्थगित बैठकों पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

य. रिक्त स्थानों की पूर्तिः

प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए किया जायेगा।

र. कार्यकालः

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे विशेष परिस्थिति में छः माह तक बढ़ाया जा सकता है।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

ल. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक प्रगति रिर्पोट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उनको लागू करना।
4. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. उपसमितियां व उप नियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

7. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, वित्तीय संस्थानों, संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, अमानतें, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

अ. संरक्षकः

1. संस्था व उसकी सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
2. किसी सदस्य या पदाधिकारी पर आरोप सिद्ध हो जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
3. संस्था के विवादों को सुलझाना।

ब. अध्यक्षः

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना।
4. समान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. सभी प्रकार की बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
6. संस्था के विकास में अपना योगदान करना।
7. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य निजी संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना।

स. उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को सम्पादित करना और सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना।

द. महामंत्रीः

1. सभी प्रकार की बैठकों को संचालित करना।
2. बैठकों की कार्यवाही का लिपिबद्ध करना।
3. वार्षिक प्रगति रिर्पोट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित करना।
5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
6. संस्था की ओर से समस्त बिलों एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
8. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
9. उद्देश्यों की पूर्ति ऋण, अनुदान, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना।
10. आवश्यकतानुसार 500/-रू0 तक व्यय करना अधिक धन प्रबन्ध समिति से अनुमोदन प्राप्त करना।
11. प्रबन्ध समिति द्वारा समय समय पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
12. संस्था के विकास में अपना योगदान करना।

य. मंत्रीः

महामंत्री की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को सम्पादित करना और सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

Raj Chaurasiya

Shivam Dwivedi

र. कोषाध्यक्षः

1. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना।
2. आय व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको उसकी रसीद देना।
4. महामंत्री तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
5. 500/– रू0 से अधिक को बैंक भेजना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकियाः

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिर्वतन, परिवर्धन साधारण सभा की बैठक में 3/5 के बहुमत से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 एवं 4 (क) के अनुसार किया जायेगा।

11. संस्था का कोषः

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा खाता अध्यक्ष एवं महामंत्री/कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

12. संस्था का लेखा परीक्षणः

संस्था के समस्त आय व्यय का लेखा परीक्षण वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध के वाद–विवाद के निपटारे का न्याय क्षेत्र कानपुर महानगर में होगा। तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के अध्यक्ष व महामंत्री जी करेंगें।

14. संस्था के अभिलेखः

1. सदस्यता का रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. एजेण्डा रजिस्टर।
4. कैश बुक।
5. लेजर।
6. बाउचर, फाइल व अन्य समय समय पर आवश्यकतानुसार।

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियां सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश कानपुर

15. फंड निवेशः

संस्था की निधियों का निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(डी), धारा 11(5) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

16. निधि का उपयोगः

संस्था की निधि/आय/फंड/चल/अचल सम्पत्ति का उपयोग संस्था के उद्द्वेश्यों के लिए किया जायेगा तथा संस्था की किसी भी निधि/आय/फंड/चल/अचल सम्पत्ति का प्रयोग संस्था के सदस्यों एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए नही किया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

17. लाभार्थी:

यह संस्था भारत के सभी नागरिकों (जाती, धर्म, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना) लोगों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है। तथा संस्था का स्वंय का किसी भी प्रकार का लाभ निहित नही है।

18. संस्था की अखंडता:

संस्था एवं संस्था निधी हमेशा के लिए अखंडनीय रहेगें।

19. संस्था का कार्यक्षेत्र:

संस्था की सभी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही संचालित किया जायेगा।

20. विद्यटन:

संस्था के विद्यटन और विद्यटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

कार्यालय उप निबन्धक सा.स.चिटस, सत्यमेव जयते, उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्य प्रतिलिपि सत्यापित

दिनांक:

सत्य–प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस
कानपुर मण्डल कानपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AD 613278

यह जनरल स्टाम्प पेपर ....

....

जिला .... फाइल सं0 ....

.... के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक सामितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्यमेव जयते

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस

कानपुर मण्डल कानपुर

सामूहिक उत्थान सेवा समिति 153, संजय गांधी नगर, नौबस्ता, कानपुर नगर प्रबन्धकारिणी सभा की सूची

वर्ष– 2013–2014

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	बीना सिंह	ए.के. सिंह	ग्रा. गगौली,पो. जाफीरगंज कटरा जिला फतेहपुर।	संरक्षक	स.सेवा
2	राकेश कुमार	फूल चन्द्र	56,मोनाई तहसील मेजा जिला–इलहाबाद उ.प्र.।	संरक्षक	शिक्षक
3	विजय कुमार सिंह	यज्ञ कुमार सिंह	153,संजय गाँधी नगर, नौबस्ता कानपुर।	अध्यक्ष	स.सेवा
4	शिव प्रताप कुशवाहा	महेन्द्र नाथ कुशवाहा	1372/ए ,हनुमन्त बिहार नौबस्ता	उपाध्यक्ष	स.सेवा
5	सत्येन्द्र सिंह	मुद्रिका नाथ	289 बाबा नगर, नौबस्ता, कानपुर	महामंत्री	स.सेवा
6	प्रदीप निषाद	हरिशचन्द्र निषाद	133/1, जूही गौशला, हमीरपुर रोड कानपुर।	मंत्री	स.सेवा
7	शिवम् द्विवेदी	महेश कुमार द्विवेदी	ग्रा. मडेपुर, पो. उमरी,ब्लाक भीतरगाँव, कानपुर नगर।	संगठनमंत्री	स.सेवा
8	अभिषेक हर्ष	देवी प्रसाद	ग्रा. चौबेपुर पो. पारा चौंद जिला– कानपुर नगर।	कोषाध्यक्ष	स.सेवा
9	रामेन्द्र सिंह	विजय पाल सिंह	ग्रा. बादलपुर,पो.आवार तारापुर जिला फतेहपुर।	प्रचारमंत्री	स.सेवा
10	अनुज दुबे	तीर्थराज दुबे	133/63 एम ब्लाक, नयापुरवा, कानपुर।	सदस्य	शिक्षक
11	राज कुमार चौरसिया	श्री राम प्रसाद चौरसिया	4–पी ब्लाक, कुंज बिहार–II, यशोदा नगर, कानपुर।	सदस्य	प्रा.नौकरी

SR Shivam Dwivedi

सत्य–प्रतिलिपि

16/1/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AC 898973

[illegible]

कानपुर 43091 [illegible]

[illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश कानपुर

[illegible]